कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री विक्की छाबड़ा c/o श्री भारत भूषण चावला, आर-14 / 160, राजनगर, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**16 / 15, 20.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री श्री विक्की छाबड़ा c/o श्री भारत भूषण चावला, आर-14 / 160, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 20.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

'' पुरानी मोटर साइकिल व कार के रजिस्ट्रेशन डाक्युमेंट्स की जॉच करने पर, जिसमें किसी भी प्रकार की खरीद व बिक्री का लेनदेन नहीं है । वाणिज्य कर विभाग में टिन नम्बर (Tin No.) लेने की आवश्यकता है कि नहीं ? ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी का लिखित प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.06.2015 प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी द्वारा नियमानुसार उत्तर देने का अनुरोध किया गया है।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-833, दिनांक 17.06.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-17 (1) में यह प्राविधान है कि-Every dealer liable to pay tax under this Act shall obtain registration certificate issued by the prescribed registering authority in the prescribed form. इसी प्रकार अधिनियम की धारा-3 के अनुसार प्रत्येक डीलर की खरीद अथवा बिक्री की करयोग्य टर्नओवर पर कर की देयता का प्राविधान है । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में किसी प्रकार के क्रय-विक्रय के अन्तरण का न होना बताया गया है। अत: नियमानुसार उन्हें वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-3 में कर का भार और उद्ग्रहण का प्राविधान किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक डीलर की खरीद व बिक्री पर कर की देयता का प्राविधान है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-17 (1) में यह प्राविधानित है कि इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी विहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-129 पर Used motor vehicles. पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता प्राविधानित है ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार खरीद व बिक्री

....2

की संविदा के क्रम में किये गये करयोग्य टर्नओवर पर करदेयता व पंजीयन लेने का प्राविधान है। प्रार्थी द्वारा पुरानी मोटर साइकिल व कार के रजिस्ट्रेशन डाक्युमेंट्स की जॉच का कार्य किये जाने का उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्र में किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई खरीद व बिक्री नहीं मानी गयी। अत: ऐसी स्थिति में पंजीयन लेने का औचित्य नहीं बनता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-3 के अनुसार खरीद व बिक्री का कार्य न करते हुए केवल पुरानी मोटर साइकिल व कार के रजिस्ट्रेशन डाक्युमेंट्स की जॉच का कार्य किया जाता है जिसमें कोई क्रय-विक्रय अथवा माल का अन्तरण नहीं होता है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पंजीयन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 13 जुलाई, 2015

ह0 / 13.07.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।